(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1863—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—06—2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 06/अपील/2013—14.

.....

1—धापू बाई पुत्री स्व0 श्री मोतिलाल
निवासी आबासकालोनी रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0
2— श्रीमती शोभा बाई पत्नि श्री शिवनारायण
निवासी बस स्टेण्ड रेहटी जिला सीहोर
म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

कमल सिंह आत्मज खुमान सिंह
निवासी ग्राम लुम्बिनी परिसर
अम्बेडकर नगर माता मंदिर भोपाल
म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 6/09/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—06—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय रेहटी तहसीलदार जिला सीहोर के राजस्व प्रकरण कमांक 24/अ–27/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 18.2.09 के एवं संशोधन पंजी कमांक –3 की प्रविष्टि से परिवेदित होकर अनावेदक कमल सिंह द्वारा काफी लंबे समय के वाद अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे काफी विलंब को आदेश दिनांक 10.5.15 से धारा–5 के आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया। इससे परिवेदित होकर इसी न्यायालय में प्रकरण कमांक निगरानी 1563–अध्यक्ष/2015 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी में अभिलेख बुलाये बगैर दिनांक 12.1.16 को अग्राह किया गया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 1617–दो/16 में आदेश दिनांक 3.4.17 को पारित किया जाकर अग्राह किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 06/अपील/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 6.6.16 से परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में यह बल दिया गया है कि अभी न्यायालय राजस्व मण्डल में रिव्यु प्रकरण लंबित होने के कारण भी अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण की कार्यवाही संचालित किये जा रहे हैं। रिव्यु प्रकरण पेन्डिंग के दौरान कार्यवाही संचालित नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से तथा संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा जिस रिव्यु प्रकरण कमांक 1617–दो/16 पर बल दिया जा रहा है उसका निराकरण दिनांक 3.4.17 को किया जा चुका है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के अंतिरिम आदेश दिनांक 6.6.16 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, अधीनस्थ न्यायालय में मात्र धारा–32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सहपठित धारा 151 सी0पी0सी का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया

गया था कि राजस्व मण्डल में रिव्यु आवेदन संचालित है जब तक अनुविभागीय अधिकारी बुधनी प्रकरण कमांक 6/अपील/2013–14 में कोई आदेश पारित नहीं करें।

5– उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा धारा–32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता सहपठित धारा 151 सी0पी0सी का आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था अब उसका कोई औचित्य नहीं समझता हूँ। अतः न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 06/अपील/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 6.6.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर